भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 798
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

'उड़ान' योजना के अंतर्गत परिचालित हवाई अड्डे

798. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में उड़ान योजना के अंतर्गत विकसित हवाई अड्डों, विशेषकर लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे की वर्तमान परिचालन स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने टियर-3 शहरों में हवाई संपर्क में सुधार का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उड़ान के अंतर्गत कितने मार्ग वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन गए हैं;

(घ) वित्तीय संकट का सामना कर रही छोटी एयरलाइनों को क्या सहायता प्रदान की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार का ग्रीन हवाई अड्डा अवसंरचना और इलेक्ट्रिक ग्राउंड वाहनों को प्रोत्साहित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर हवाई सुरक्षा प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में सुधार हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) के प्रारंभ होने के बाद से, देशभर में 15 हेलीपोर्टों और 2 वॉटर एयरोड्रोमों सहित 92 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डे प्रचालनरत हो गए हैं। हलवारा हवाईअड्डे का विकास कार्य वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

आरसीएस-उड़ान योजना पर निम्नलिखित अध्ययन किए गए हैं जिनमें टियर 2 और 3 शहरों में हवाई संपर्क में सुधार को भी शामिल किया गया है:

1 इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) द्वारा 'क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान' की प्रगति और संभावनाएं रिपोर्ट, (2021-22)।

2 डीएमईओ नीति आयोग द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना का मूल्यांकन अध्ययन (2023-24)।

(ग): 'उड़ान योजना' के अंतर्गत प्रचालनिक लगभग 150 आरसीएस मार्ग स्वावलंबी हो गए है।

(घ): मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त होने के साथ, भारतीय घरेलू विमानन क्षेत्र को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है।

संसाधन जुटाने और ऋण पुनर्संरचना सहित वित्तीय और प्रचालन संबंधी निर्णय, वाणिज्यिक कारकों के आधार पर संबंधित एयरलाइन प्रबंधन द्वारा लिए जाते हैं। सरकार सरलीकृत विनियमों और व्यापार में सुगमता को बढ़ाकर इस क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है।

(ङ): नागर विमानन मंत्रालय ने सभी प्राचालन और भावी हवाईअड्डों को कार्बन उत्सर्जन मानचित्रण और हरित ऊर्जा के उपयोग सहित कार्बन न्यूट्रेलिटी और नेट जीरो स्थिति को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने का परामर्श दिया है। कार्बन लेखांकन को मानकीकृत करने तथा जलवायु परिवर्तन शमन के संबंध में जागरूकता बढ़ाने हेतु ज्ञान-साझाकरण सत्र आयोजित किए गए हैं। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) प्रमुख हवाईअड्डों के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय हरित ऊर्जा और कार्बन न्यूट्रेलिटी पर पूंजीगत व्यय पर भी विचार करता है।

(च): सभी डीजीसीए लाइसेंस प्राप्त हवाईअड्डों को लाइसेंस की पूरी अवधि के दौरान विमान परिचालन के लिए निर्धारित मानकों और उपयुक्तता को बनाए रखना होगा। डीजीसीए अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करने हेतु वार्षिक निगरानी, औचक जांच आदि करता है।

******